

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र/एफ 13-5/2016/20-तीन (1)

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रति.

कलेक्टर,

जिला—बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद
जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली
रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा

विषय—59 मॉडल स्कूल का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाना।

—0—

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छ.ग. राज्य में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन के अंतर्गत मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है। मई 2015 से मॉडल स्कूल का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य शासन को कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 59 मॉडल स्कूलों का संचालन कॉमर्सियल आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन 59 विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इनका संचालन डीएडी कॉलेज मैनेजिंग कमिटी, वित्तगुप्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली संस्था द्वारा किया जाएगा। संस्था द्वारा किया गया अनुबंध की छायाप्रति पृथक से प्रेषित की जा रही है।

संचालन के मुख्य बिन्दु—

(क) भवन—

1. अप्रैल 2016 से सभी विद्यालयों का भवन, मैदान एवं सामग्री संबंधित संस्था को 30 वर्ष की अवधि के लिए उपयोग हेतु उनको Usage Rights (उपयोग का अधिकार) अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु एक स्थानीय अनुबंध निष्पादित किया जाएगा; जिसका मूल्य रु. 100 प्रति शाला के हिसाब से होगा। प्रत्येक शाला हेतु पृथक अनुबंध होगा। इस हेतु तत्काल कार्यवाही करें। निर्देश जारी करें।
2. विद्यालय एवं मैदान का स्वामित्व छ.ग. शासन के पास ही रहेगा।
3. सभी विद्यालय “जहां है, जैसे हैं” के आधार पर उन्हें संचालन हेतु उपलब्ध होंगे।
4. विद्यालय में लगने वाला अतिरिक्त फर्नीचर एवं सामग्री हेतु एकमुश्त अनुदान स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुबंधकर्ता के संयुक्त निरीक्षण पश्चात् जारी की जा सकेगी।
5. विद्यालय भवन के मरम्मत एवं रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी।
6. अनुबंधित अवधि समाप्त होने पर निजी संस्था द्वारा सभी अचल संपत्ति तथा शासकीय प्रदत्त चल संपत्ति को छोड़कर उनके द्वारा लायी गई अचल संपत्ति को ले जाने की अनुमति भौतिक सत्यापन पश्चात् दी जा सकती है।
7. संस्था भवन एवं अचल संपत्ति को उसी स्थिति में वापस करेगा जिस स्थिति में उसे दिया गया है।

11211

(ख) अध्यापन —

1. शाला का सम्पूर्ण संचालन उक्त संस्था द्वारा किया जाएगा। इसमें अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं गैर शैक्षकीय गतिविधियां भी उनके दायित्व में रहेगा।
2. शाला का कक्षा 1ली से 12वीं तक निजी संस्था के माध्यम से संचालन होगा।
3. इन विद्यालयों में दिनांक 01 अप्रैल 2016 से शासन की ओर से कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं होगे और न ही पदांकित होंगे।
4. संस्था द्वारा दो पालियों में सुविधानुसार कक्षा का संचालन किया जा सकता है।
5. इन विद्यालयों में अध्यापन कार्य अंग्रेजी माध्यम सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित होगी।
6. किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या 90 होगी। प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम 02 सेक्षण होंगे।
7. स्कूल शिक्षा विभाग की पूर्व अनुमति से दो से ज्यादा सेक्षण भी किसी कक्षा के लिए खोला जा सकता है।
8. विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।
9. जिन विद्यालयों की मान्यता सीबीएसई से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली जा चुकी है वह अनुबंधकर्ता को हस्तांतरित हो जाएगी। नयी मान्यता तथा हस्तानन्तरण हेतु होने वाला व्यय अनुबंधकर्ता द्वारा बहन किया जाएगा।

(ग) वित्तीय प्रबंधन —

1. इन 59 विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संस्था को राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश वर्यन्त रु. 7216 प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रदाय किया जाएगा।
2. संस्था स्वयं के साधन से शाला संचालित करेगा, इस हेतु वह स्थानीय तौर शासकीय कोटे एवं RTE कोटे को छोड़कर, अन्य विद्यार्थियों से Fees प्राप्त कर सकता है।
3. अनुबंधकर्ता द्वारा विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर किया जाएगा, इसके लिए 04 सूचकांक तय किए गए हैं, जिसमें कमी पाये जाने पर अनुबंधकर्ता को होने वाले भुगतान में कटौती की जा सकेगी। सुलभ संदर्भ हेतु अनुबंध के नियम - 19 में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। यह सूचकांक होंगे—
 1. 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या,
 2. निजी तथा शासकीय विद्यार्थियों के मध्य उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की तुलना,
 3. छाप आउट अनुपात, एवं
 4. कक्षा 6वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों द्वारा सीसीई में प्राप्त ग्रेड।

(घ) दाखिला—

1. इन विद्यालयों में दाखिला शासकीय कोटा एवं RTE कोटे को छोड़कर, संस्था द्वारा किया जाएगा।

meal

2. कक्षा 6वीं अथवा आगे की कक्षाओं में कोई भी नया दाखिला कलेक्टर द्वारा / जिला स्तर पर नहीं किया जाएगा।
3. अनुबंध के अनुसार संस्था इन विद्यालयों में रिक्त सीटों पर खुली प्रवेश नियम से सीट भरने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। सभी कक्षाओं में कुल निर्धारित सीट का 08 प्रतिशत सीट निःशुल्क होंगे तथा 25 प्रतिशत RTE Norms के आधार पर भरे जाएंगे। इस प्रकार दो सेक्षण मानते हुए, प्रत्येक कक्षा में कुल स्वीकृत अधिकतम 90 सीट में से 7 सीट निःशुल्क शासकीय कोटा एवं 23 सीट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिला दे सकते हैं।
4. इनमें से 25 प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी जिनका नामांकन आरटीई नार्मस के आधार पर किया गया है, उनके फीस की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा किया जाएगा एवं 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थियों को संबंधित संस्था कक्षा पहली से बारहवीं तक पूर्णतः निःशुल्क अध्ययन-अध्यापन कराया जाएगा।
5. इस 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा वाले विद्यार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण अनिवार्य रूप से सम्मिलित होंगे।
6. संस्था द्वारा कक्षा 1ली से 6वीं तक का नामांकन (दाखिला) इस वर्ष किया जा सकेगा। कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में सीट रिक्त होने पर निजी संस्था खुले प्रवेश नियम के तहत सीट भरने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनका फीस निजी संस्था ले सकेगी। परंतु कक्षावार कुल स्वीकृत सीट संख्या से अधिक की दाखिला बिना विभागीय पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
7. वर्तमान नामांकित विद्यार्थी जब तक 12वीं उत्तीर्ण नहीं होते हैं तबतक उन्हें पढ़ाने एवं उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी निजी संस्था की होगी।

(च) अन्य निर्देश –

1. चूंकि शाला संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा, अतः उसकी मान्यता, आदि हेतु शर्तों का पालन तथा आवश्यकतानुसार मान्यता हेतु अर्हता पूर्ण करने की जिम्मेदारी उक्त संस्था की रहेगी।
2. सभी विद्यालयों का संचालन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष संस्था द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा, एवं जिसका उपाध्यक्ष कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले का राजपत्रिन अधिकारी होगा। इस शाला प्रबंधन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण अनिवार्यतः सदस्य होंगे।
3. प्रत्येक विद्यालय को “विद्यार्थियों का लैंगिक अपराध एक्ट 2012” का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के अनुबंध की उल्लंघन एवं नियमों का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा घेड़े औलटी एवं टर्मिनेशन का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका उल्लेख Concessionnaire Agreement में है।

114/6

5. संस्था द्वारा अनुबंध समाप्ति के लिए नोटिस के बाद 01 सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष तक (जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाए) स्कूलों का संचालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रभावशील राज्य एवं केन्द्र के कानून, नियम एवं निर्देश तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा निर्धारित अन्य सभी नियम एवं परिनियम लागू होंगे।

संलग्न:- 59 विद्यालयों की सूची।

30/3/16
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र./एफ 13-5/2016/20-तीन (1)

प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

- 1 निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- 2 आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
- 3 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4 प्रबंध संचालक, राज्य भाष्यमिक शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5 मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी,-बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7 सहायक आयुक्त, आदिम जांति कल्याण विभाग, जिला - बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली, रायगढ़, सूरजपुर, सरगुजा को सूचनार्थ।

30/3/16
सचिव

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

59 मॉडल स्कूल

क्र.	जिला	विकासखंड	मॉडल स्कूल का नाम
1	बलौदाबाजार	बिलाईगढ़	खन्हरिया
2	बलौदाबाजार	कराडोल	छरछेद
3	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	सकरी
4	बलौदाबाजार	भाटापारा	टिकुलिया
5	बलरामपुर	रामघंटपुर	भवरमाल
6	बलरामपुर	बाङ्गकनगर	प्रेमनगर
7	बलरामपुर	राजपुर	पतरातु
8	बस्तर	बस्तर	करमरी
9	बस्तर	जगदलपुर	आडावाल
10	बस्तर	तोकापाल	सिधनपुर
11	बस्तर	दरभा	गुमदपाल(छिंदावाड़ा)
12	बस्तर	लाहानडीगुड़ा	लन्दागुड़ा
13	बस्तर	बस्तानार	लालागुड़ा
14	बस्तर	ठकावंद	उल्नार
15	बेमेतरा	बेमेतरा	जांता
16	बिलासपुर	तिल्हा	गोदी
17	बिलासपुर	गौरेला	सरबहरा
18	बिलासपुर	कोटा	गोबरीपाट
19	बिलासपुर	मरवाही	कुम्हारी
20	बिलासपुर	मरतुरी	वेदपरसदा
21	बिलासपुर	येण्डा	कुडकई
22	बिलासपुर	तखतपुर	देवरी खुद
23	गरियाबंद	देवभोग	मुंगझार
24	गरियाबंद	मैनपुर	दहारगुड़ा
25	जांजगीर-चापा	पामगढ़	कुत्राबोड़
26	जशपुर	बगीचा	बगीचा
27	जशपुर	कांसाबेल	कांसाबेल
28	जशपुर	पथलगांव	पंडरी पानी
29	कबीरधाम	कवर्धा	धरमपुरा
30	कबीरधाम	पंडरिया	लडुवा
31	कोडागांव	कोँडगांव	देव खरगांव
32	कोडागांव	माकड़ी	बेलगांव
33	कोडागांव	फरसगांव	बड़े डॉंगर
34	कोडागांव	बड़ेराजपुर	विश्रामपुरी (होनावण्डी)
35	कोडागांव	केशकाल	गरकागुडरेपारा
36	कोरबा	लोरबा	खरमोरा
37	कोरबा	करतला	बड़मार
38	कोरबा	कटघोरा	जेन्जरा

39	कोरवा	बाली	सैला
40	कोरवा	गोडी लपरोडा	डोगरतराई(भावर)
41	कोरिया	खन्डगढान	सकरिया
42	कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कच्छौद
43	कोरिया	भरतपुर	जनकपुर
44	मुंगेली	मुंगेली	बीरगांव फुलवारी
45	मुंगेली	पथरिया	जरेली (पेण्डी)
46	मुंगेली	लारमी	कोतरी
47	रायगढ़	लैलुगा	कुन्जारा
48	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़
49	सरगुजा	मैनपाट	नर्मदापुर
50	सरगुजा	लखनपुर	केवडी
51	सरगुजा	बतीली	भटको
52	सरगुजा	लुन्डी	कडकी
53	सरगुजा	सीतापुर	प्रतापगढ़
54	सरगुजा	अम्बिकापुर	परसा
55	सरगुजा	लदयपुर	सन्नीवर्ग
56	सूरजपुर	भैयाथान	जामडी
57	सूरजपुर	प्रतापपुर	कनकनगर
58	सूरजपुर	ओडगी	कलामजन
59	सूरजपुर	सूरजपुर	तिलिसवां

Signature

आवर संशोधन
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मन्त्रालय, रायपुर